

Sl. No. 19/2011

EASTERN RAILWAY


No. SBF/Account/1/Pt. VIII

Kolkata, dated 25<sup>th</sup> Feb. 2011.

ALL CONCERNED

Sub: Staff Benefit Fund – Continuance of benefits  
to staff receiving benefit of the MACP Scheme.

The following copy of Railway Board's letter No E(W)2010/FU-1/14 dt. 15.2.2011 (RBE No. 22/2011) is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

  
(S. K. Chattopadhyay)  
Asstt. Personnel Officer (W&PC)  
For Chief Personnel Officer

---

Copy of Railway Board's letter No. E(W)2010/FU-1/14 dt. 15.2.2011 addressed to the General Manager, All Indian Railways and Production units etc.

Sub: Staff Benefit Fund – Continuance of benefits to staff receiving benefit of the MACP Scheme.

Some of the Zonal Railways have sought clarification as to whether the staff in Grade Pay Rs.1,800/- and below and eligible for benefits of scholarship for higher education and relief of distress/sickness etc. under Items I(i)(a)(2), I(i)(a)(3) and I(i)(d)(2) of this office letter dated 26.4.2010 ibid are entitled for these benefits even after being placed in higher Grade Pay under the MACP Scheme.

2. The matter has been considered and it is clarified that since even after placement in higher Grade Pay under the MACP Scheme the employee continues to retain the classification of his/her basic post, such staff continue to be eligible for these benefits under SBF. The grant of these benefits shall, however, be subject to the staff in the lower Grade Pay being given precedence.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

\*\*\*\*\*



Sl. NO. 17/2011

पूर्व रेलवे

संख्या-एसबीएफ/एकाउंट/1/पीटी-VIII

कोलकाता, दिनांक 10/2/2011

सर्व संबंधित

विषय : कर्मचारी हित निधि-आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना  
का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ जारी रखना.

रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(डब्ल्यू)2010/एफयू-1/14 दिनांक 15.02.2011 (आर बी ई सं.22/2011) की निम्नलिखित प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्वारा अग्रसारित की जाती है :-

संतोष

( एस. के. चट्टोपाध्याय )

सहायक कार्मिक अधिकारी (डब्ल्यू एंड पीसी)

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधक और उत्पादन इकाइयों आदि को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(डब्ल्यू) 2010/एफयू-1/14 दिनांक 15.02.2011 की प्रतिलिपि.

विषय : कर्मचारी हित निधि-आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना  
का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ जारी रखना.

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 1,800/- रु. तथा इससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेप पे में रखे जाने पर भी इस कार्यालय के दिनांक 26.04.2010 के पत्र की मद I (i) (क) (2), I (i) (क) (3) तथा I (i) (घ) (2) के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छातवृत्ति तथा विपत्ति/बीमारी आदि में राहत के लाभों के लिए पात्र हैं.

2. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेप पे में रखे जाने के बाद भी कर्मचारी अपने मूल पद के वर्गीकरण में ही रहता है, इसलिए ऐसे कर्मचारी कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत इन लाभों के लिए पात्र बने रहेंगे. बहरहाल, इन लाभों को प्रदान करने में निम्नतर ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को वरियता दी जाएगी.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

.....